HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 585/2026

Manoj Singh Son Of Ajay Singh, Aged About 35 Years, Resident Of 23, Shivaji Nagar, Bhadarana, Vishwakarma, Jaipur West, Rajasthan. (At Present Confined In Central Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shantnu Bansal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/05/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **19/2019** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 13.03.2026 के माध्यम से धारा 8(c)/20(b)II(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम तीन वर्ष के **कठोर** कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई विश्वसनीय तथा विधितः स्वीकार्य सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, अपील के निस्तारण में समय

लगेगा, अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है। दौराने अन्वीक्षा जमानत पर था, करीब दो माह से अधिक अवधि की सजा भुगत चुका है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. अभियुक्त का पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया है, अभियुक्त दोषसिद्ध सजा के मुकाबले करीब दो माह की सजा भुगत चुका है, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है।

7. अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त **मनोज सिंह पुत्र अजय सिंह** द्वारा उस पर अधिरोपित **सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की शर्त पर** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि इस न्यायालय में **दिनांक 05.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त के संबंध में पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 13.03.2026** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /53